

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
पीठासीन अधिकारी:- कैलाश चन्द गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
प्रकरण संख्या- 24/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट
देवीलाल पिता श्री नारायणजी माली, जाति माली, पेशा काश्त, निवासी रावतभाटा, तहसील
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

.....प्रार्थी

विरुद्ध

श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम
अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :- श्री आजाद हुसैन।

दिनांक:- 28/03/2022

-:आदेश:-


प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि मौजा नीम का खेड़ा, प0ह0 बाड़ौलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 30 खंसरा सं. 105, 71 72, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.92 है0 लगान 13.50 रूपये प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि खंसरा सं. 105, 71 72 के पड़ोसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर रथाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर दिनांक 11.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ने न्यायालय में उपरिथत हो पत्थरगढ़ी की जाने में कोई आप्ति नहीं की व पत्थरगढ़ी करने हेतु सहमति जताई। पेटोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा दिनांक 15.03.2022 को प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि मौजा नीम का खेड़ा, प0ह0 बाड़ौलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 30 खंसरा सं. 105, 71 72, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.92 है0 लगान 13.50 रूपये प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपरिथति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फ़ैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़